न्यायालय : तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दतिया म.प्र.

जमानत आवेदन क्रमांक–899 / 2026
फाइलिंग नंबर बी.ए. / 4688 / 2026
सी.एन.आर.नंबर एम.पी.3201005675 / 2025
अपराध क्रं.–81 / 2026 थाना उनाव दतिया

अब्दुल रसीद मंसूरी पुत्र मौलावक्श, आयु करीब 55 वर्ष, पेशा मजदूरी, निवासी वार्ड क्रमांक–12, बोहरान मोहल्ला भाण्डेर, जिला दतिया म.प्र.

–––––आवेदक / अभियुक्त

बनाम

म.प्र. राज्य द्वारा पुलिस थाना उनाव जिला दतिया।

–––––अनावेदक / राज्य

प्रतिलिपि आदेश दिनांक 22.07.2026

पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने एवं प्रभार इस न्यायालय पर होने से यह जमानत प्रकरण मेरे समक्ष प्रस्तुत।

आवेदक / अभियुक्त अब्दुल रसीद मंसूरी द्वारा श्री सुनील श्रीवास्तव अधिवक्ता उपस्थित।

अनावेदक / राज्य द्वारा श्री अरूण लिटौरिया, अपर लोक अभियोजक उप.।

अपराध क्रमांक	81 / 2026
अपराध की तारीख	20.05.2026
प्र.सू.रि. की तारीख	20.05.2026
पुलिस थाने का नाम	उनाव जिला दतिया
अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक	28.05.2026
अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड	प्रस्तुत है।
अभियोगपत्र प्रस्तुति की तारीख	17.07.2026

प्रकरण आज आवेदक / अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय प्रतिभूति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना.सु.सं., 2023 पर तर्क हेतु नियत है।

आरक्षी केन्द्र उनाव जिला दतिया द्वारा अपराध क्रमांक–81 / 2026 अंतर्गत धारा–25(1–बी)(ए), 25(1)(ए), 27 आयुध अधिनियम में प्रस्तुत अभियोगपत्र पर से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया (स्वप्निल वर्मा) जिला दतिया के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण

क्रमांक–आर.सी.टी./741/2026 'राज्य वि. नवल किशोर आदि' का अभिलेख प्राप्त एवं उक्त अपराध से संबंधित थाना उनाव जिला दतिया से कैफियत प्रतिवेदन भी प्राप्त।

अभिलेख अनुसार आवेदक का धारा–480 भा.ना.सु.सं. का आवेदनपत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला दतिया द्वारा दिनांक 29.05.2026 को निरस्त किया गया है।

प्रतिभूति आवेदन पत्र के संबंध में उभयपक्ष को सुना गया।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत धारा–483 भा.ना.सु.सं., 2023 का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि आवेदक/अभियुक्त का यह द्वितीय जमानत आवेदन पत्र है। उक्त तथ्य के समर्थन में आवेदक के पुत्र सोहिल खान पुत्र अब्दुल रसीद मंसूरी का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त का प्रथम प्रतिभूति आवेदन–पत्र मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 29.05.2026 को जमानत आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया गया है। आवेदक द्वारा पुनः जमानत आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा–483 भा.ना.सु.सं.,2023 न्यायालय तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महोदय दतिया द्वारा दिनांक 02.06.2026 को गुण–दोषों के आधार पर निरस्त किया जा चुका है। आवेदक के द्वारा पुनः जमानत आवेदनपत्र माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर म.प्र. के समक्ष प्रकरण क्रमांक एम.सी.आर.सी. क्रमांक–27440/2026 प्रस्तुत किया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2026 को निरस्त कर दिया गया है। आवेदक गिरफ्तारी दिनांक 28.05.2026 से जिला जेल दतिया में निरुद्ध है। आवेदक के विरुद्ध पुलिस थाना उनाव द्वारा दिनांक 17.07.2026 को अभियोगपत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दतिया के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसका दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–741/2026 'मध्यप्रदेश शासन वि. नवल किशोर आदि' है। आवेदक का यह द्वितीय आवेदनपत्र है। इसके अलावा अन्य कोई आवेदनपत्र अन्य न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में लंबित नहीं है।

आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध थाना उनाव जिला दतिया के द्वारा अपराध क्रमांक–81/2026 में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा दिया गया है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है, वह पूर्णतः निर्दोष है तथा उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध व

सरोकार नहीं है। आवेदक नवयुवक होकर मजदूर पेशा व्यक्ति है तथा मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का भरण–पोषण करता है। यदि उसे अधिक समय तक अभिरक्षा में रखा गया तो वह मजदूरी नहीं कर पायेगा। आवेदक दतिया जिले का स्थाई निवासी है तथा उक्त स्थान पर उसकी चल–अचल संपत्ति स्थित है इसलिये उसके भागने या फरार होने की संभावना नहीं है। प्रकरण के निराकरण में विलम्ब लगने की पूर्ण संभावना है। आवेदक साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित सभी शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक ने आवेदन–पत्र स्वीकार कर उसे नियमित जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

एस.एल.पी.क्रिमिनल नंबर–1400/2025 मुन्नेश बनाम म.प्र.राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में आवेदक/अभियुक्त द्वारा उसके विरुद्ध 02 अन्य आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने के संबंध में लेख किया है।

अनावेदक/राज्य की ओर से लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए, आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। अपर लोक अभियेाजन द्वारा आवेदक द्वारा कारित अपराध की गंभीरता एवं उसके समाज पर प्रभाव के आधार पर प्रकरण में आवेदक को जमानत का लाभ न दिये जाने निवेदन किया है।

प्रकरण का परिशीलन किया गया।

प्रकरण में संलग्न अभियोगपत्र के अनुसार अभियोजन प्रकरण संक्षिप्ततः यह है कि दिनांक 20.05.2026 को थाना उनाव में पदस्थ प्रधान आरक्षक संजयसिंह को इलाका भ्रमण के दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति सफेद रंग की टी–शर्ट एवं हाफ चढ्ढा पहने सफेद काले रंग की बिना नंबर की पल्सर मोटर साइकिल से ग्राम घिसलनी तरफ से झांसी रोड़ उनाव तरफ आ रहा है, जो थैले में बेचने के उद्देश्य से तीन–चार अवैध हथियार लिये हुए है। उक्त सूचना की तस्दीक हेतु मय फोर्स एवं साक्षी के मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे, जहाँ मुखबिर के बताये हुलिया का एक व्यक्ति आता दिखा जिसे फोर्स की मदद से घेरकर पकड़ना चाहा, तो वह मोटर साइकिल पटककर हाथ में थैला लेकर भागने लगा, जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा एवं उसके हाथ में लिये कत्थई रंग के थैले को चैक किया, तो उसमें थैले में तीन 315 बोर के अवैध कट्टे, 01 पिस्टल 32 बोर की एवं दो 315 बोर के जिंदा राउण्ड मिले। जिनके संबंध में

अभियुक्त से लायसेंस चाहे जाने पर उसने लायसेंस न होना व्यक्त किया। तत्पश्चात् उक्त अभियुक्त से नाम पता पूछे जाने पर उसने अपना नाम नवलकिशोर झा पुत्र हरिसिंह झा होना बताया। तत्पश्चात् अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं जप्तशुदा सामग्री को सीलबंद किया गया एवं वापस थाना आकर अपराध क्रमांक–81/2026 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई।

प्रकरण में विवेचना के दौरान अभियुक्त नवलकिशोर का मेमोरेण्डम कथन लेख किया गया, जिसमें उसके द्वारा उक्त कट्टे, पिस्टल व राउण्ड पप्पू बेल्डर उर्फ अब्दुल रसीद से खरीदना बताया। तत्पश्चात प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया एवं उसके आधिपत्य से कट्टे, राउण्ड, अधबने कट्टे व कट्टा बनाने की सामग्री जप्त की गई।

अभियोगपत्र, आपराधिक प्रकरण एवं पुलिस प्रतिवेदन के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक/अभियुक्त के विरुद्ध अवैध रूप से अपने आधिपत्य में आग्नेयास्त्र रखे जाने एवं आग्नेयास्त्रों का निर्माण किये जाने का आक्षेप है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथम दृष्टया आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता दर्शित होती है। आवेदक/अभियुक्त के आधिपत्य से काफी मात्रा में कट्टे बनाने की सामग्री जप्त की गई है। प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण कर अभियुक्त के विरुद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया जाना दर्शित है। आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर म.प्र. के समक्ष प्रकरण क्रमांक एम.सी.आर.सी. क्रमांक–27440/2026 में प्रस्तुत जमानत आवेदन–पत्र को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09.07.2026 को निरस्त कर दिया गया है। प्रकरण की परिस्थितियों में वर्तमान तक कोई परिवर्तन नहीं होना दर्शित है। ऐसी स्थिति में आवेदक/अभियुक्त पर अभियोजित अपराध की गंभीरता, प्रकृति, तथ्यों, परिस्थितियों तथा अनुसंधान के दौरान आवेदक के विरूद्ध पुलिस द्वारा एकत्रित की गयी साक्ष्य एवं अभियुक्त के आपराधिक कृत्य तथा अभियुक्त द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की दर्शित परिस्थिति को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को प्रतिभूति का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः आवेदक/अभियुक्त **अब्दुल रसीद मंसूरी पुत्र मौलावक्श** की ओर से प्रस्तुत तृतीय प्रतिभूति आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार योग्य न पाते हुए **निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ आपराधिक प्रकरण का अभिलेख संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट की ओर वापस भेजा जावे।

आदेश की सत्यप्रति आवेदक/अधिवक्ता को प्रदान की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार भेजा जाये।

हस्ता./–

वास्ते–तृतीय अति. सत्र न्यायाधीश
दतिया म.प्र.

MANJUSHA TEKAM

Digitally signed by MANJUSHA TEKAM
Date: 2026.07.22 15:51:53 +0530